

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 43/2024

प्रार्थी-

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य  
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण-

1. बंटी पुत्र धनराज जाति सिंधी निवासी  
टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, महावीर  
नगर, बाड़मेर (मैसर्स तरुण प्रोविजन  
स्टोर, 214, रिको एरिया इण्डिस्ट्रियल  
एरिया, बाड़मेर का मैनेजर)
2. धनराज पुत्र गेहिमल जाति सिंधी  
निवासी टेलीफोन एक्सचेंज के सामने,  
महावीर नगर, बाड़मेर (मैसर्स तरुण  
प्रोविजन स्टोर, 214, रिको एरिया  
इण्डिस्ट्रियल एरिया, बाड़मेर का  
मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 52 खाद्य सुरक्षा  
एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भूरचंद जांगिड़, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 19.02.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की  
उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 52 खाद्य सुरक्षा और मानक  
अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य  
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि  
अप्रार्थीगण के प्रतिष्ठान मैसर्स तरुण प्रोविजन स्टोर, 214, रिको एरिया  
इण्डिस्ट्रियल एरिया, बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक 19.12.2023 को विक्रय हेतु रखा  
गया खाद्य पदार्थ मैसुर पाक (पैकिंग) जो कि 10 कि0ग्रा0 रखा हुआ था, को  
मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 500-500 ग्रा0 के 04 मैसुर पाक  
(पैकिंग) वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या पी-2479 अंकित कर  
इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांचे जाने हेतु  
प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर वास्ते  
उक्त खाद्य पदार्थ मैसुर पाक (पैकिंग) का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक,  
खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक,

खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा रिपोर्ट दिनांक 01.01.2024 में उक्त खाद्य पदार्थ मैसुर पाक (पैकिंग) का नमूना को मिसब्रांड (Misbrand) बताया गया जिसकी अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी वाडमेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर जवाब में अपने प्रतिरक्षण में किसी प्रकार का ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब नहीं दिया गया।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थीगण के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 01.01.2024 में उक्त नमूना मिसब्रांड (Misbrand) स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार **name of edible vegetable oil not given on the label of sample** बताया गया है। इस पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को धारा 46 की उप-धारा 4 के अधीन नोटिस जारी किया गया किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब एतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अपने प्रतिरक्षण में किसी प्रकार का ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब नहीं दिया है जो उनके द्वारा कारित अपराध की मौन जुर्म स्वीकारोक्ति है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा अपने प्रतिरक्षण में किसी प्रकार का जवाब नहीं देना अपने प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के प्रति अपनी जिम्मेदारी से विमुख होने का प्रयास किया है क्योंकि जो खाद्य पदार्थ अपने प्रतिष्ठान में रखकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा है तो उसकी गुणवत्ता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थीगण का है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।


4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरुद्ध अपराध धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से



खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 42/2014/खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम बंटी व अन्य

अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से रूपये 20,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 19.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(राजेन्द्र सिंह चांदावत)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर